

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

समाचार भाग-2

। विधायी तथा अन्यायमामलों से संबंधित सामान्य जानकारी ।
वृहदितिवार, 16 मार्च, 2000 / फाल्गुन 20, 1921 [शक]

संख्या : 76

सदस्यों की नजरबंदी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को संबोधित पुलिस उपायुक्त,
नई दिल्ली जिला, नई दिल्ली का निम्नलिखित संदेश दिनांक 15.03.2000
को प्राप्त हुआ :-

"मुझे आपको ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के
माननीय सदस्य ~~शोम्पी~~ अंजलि राय, किरण वालिया, किरण चौधरी
एवं मीरा भारद्वाज को उनके अन्य समर्थकों सहित दिनांक 14.3.20000
को अपराहन 12.20 बजे, दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा
65 के अंतर्गत पुलिस के विधि-सम्मत निर्देशों की अवज्ञा करने के कारण
प्रथम वैरिक, संसद मार्ग पर नजरबंद किया गया ।

उन्हें, उनके समर्थकों सहित, उसी दिन अर्थात् दिनांक 14.3.2000 को
अपराहन 12.30 बजे उसी स्थान से रिहा कर दिया गया ।"

एस. के. शर्मा
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT
BULLETIN PART - II

(General information relating to Legislative & other matters)
Thursday 16 March, 2000/Phalgun 26, 1921 (Saka)

No. 76

DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS

The following message addressed to Hon'ble Speaker, Delhi
Vidhan Sabha was received from Deputy Commissioner of Police, New
Delhi Distt., New Delhi on 15.03.2000 :-

"I have the honour to inform you that Ms. Anjali Rai, Ms.
Kiran Wallia, Ms. Kiran Chaudhary and Ms. Meera Bhardwaj, Hon'ble
Members of Legislative Assembly, Delhi alongwith their supporters
were detailed U/S 65 of Delhi Police Act, 1978 for disobeying the
lawful directions of Police at Ist Barricade on Parliament Street,
New Delhi at 12.20 P.M. on 14.3.2000.

They were released alongwith their supporters at 12.30 P.M.
from the same place on the same day i.e. 14.3.2000.

S.K. SHARMA
SECRETARY